

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान..... सिद्धपुर

दिनांक :- 27/01/23

--: आदेश :-

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिद्धपुर व
 भू-अभिलेख निरीक्षक सिद्धपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर सिद्धपुर व
 भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम सिद्धपुर तहसील कपासन जिला
 चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 285
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
 के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सिद्धपुर	285	नारायण पुत्र गौरु 1/3 भील ला- ६८ (वारेदार)	नारायणलाल पुत्र गौरु 1/3 भील ला- ६८ खानेदार

(ds)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :- 27/1/23

क्रमांक / 211
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।